



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072022-237426
CG-DL-E-21072022-237426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3163]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944

No. 3163]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2022

(आय-कर)

का.आ. 3324(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के उप खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि अर्थात्, सीपीपीआईबी क्रेडिट इन्वेस्टमेंट्स VI इंक (पैन: एएजीसीसी5549के), (जिसे इसमें इसके पश्चात निर्धारित कहा गया है) को, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात किंतु 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व भारत में उसके द्वारा किए गए पात्र विनिधान (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विनिधान कहा गया है) के सम्बंध में, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्: -

- निर्धारित, उस तारीख से प्रारम्भ होने वाली अवधि, जिसमें उक्त विनिधान किया गया है और उस तारीख को, जिसको ऐसा विनिधान का परिसमापन किया गया है, समाप्त होने वाली अवधि के अंतर्गत आने वाले सभी सुसंगत पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप धारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उससे पूर्व आय की विवरणी फाइल करेगा;
- निर्धारित ऐसी विवरणी के साथ वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के उपबंधों की अनुपालन के संबंध में आय-कर नियम, 1962 के नियम 2घख के खंड (vi) के उपबंधों के अनुसार अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल के प्ररूप संख्या 10खखग में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;

- (iii) निर्धारिती भारत में तिमाही के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रत्येक विनिधान के संबंध में व्यौरों की सूचना तिमाही के दौरान तिमाही के अंत से एक मास के भीतर आय-कर नियम, 1962 के नियम 2घख के खंड (V) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप सं. 10खखख में देगा;
 - (iv) निर्धारिती, ऐसे विनिधानों के संबंध में, जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के अधीन छूट के लिए अर्हित हैं, के संबंध में आय और व्यय का खंडवार लेखा बनाए रखेगा;
 - (v) निर्धारिती कनाडा सरकार की विधि के अधीन विनियमित होता रहेगा;
 - (vi) निर्धारिती, यथास्थिति, ऐसी निधियों या योजनाओं के भागीदारों या हिताधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, दिव्यांगता, मरणोत्तर प्रसुविधाएं या कोई समरूप प्रतिकर का उपबंध करने के लिए स्थापित एक या अधिक निधियों या योजनाओं की कानूनी बाध्यताओं और परिभाषित अभिदायों को पूरा करने के लिए आस्तियों के प्रशासन या विनिधान के लिए उत्तरदायी होगा;
 - (vii) निर्धारिती के उपार्जनों और आस्तियों का उपयोग केवल कानूनी बाध्यताओं को और खंड (vi) में निर्दिष्ट निधियों या योजनाओं के सहभागियों या फायदाग्राहियों के लिए परिभाषित अभिदायों को पूरा करने के लिए किया जाए तथा पेंशन निधि के उपार्जनों या आस्तियों का कोई भाग किसी अन्य प्राइवेट व्यक्ति के किसी फायदा को भारत में विनिधान करने के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों हेतु लिए गए ऋण या उधार [अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण-2 के खंड (ii) के उपखंड (ख) में यथापरिभाषित] के लिए लेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को किए गए किसी संदाय को वर्जित करते हुए लागू नहीं होता है;
 - (viii) निर्धारिती के पास भारत में विनिधान करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई ऋण या उधार [अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण-2 के खंड (ii) के उपखंड (ख) में यथापरिभाषित] नहीं होगा; और
 - (ix) निर्धारिती विनिधान प्राप्तकर्ता [अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण-2 के खंड (i) में यथापरिभाषित] के दिन प्रतिदिन की संक्रियाओं में भाग नहीं लेगा परंतु विनिधान प्राप्तकर्ता के पास विनिधान की संरक्षा करने के लिए मॉनीटरी तंत्र को, जिसमें निदेशकों या कार्यपालक निदेशक को नियुक्त करने के अधिकार सम्मिलित है, विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन प्रतिदिन की संक्रियाओं में भाग लेना नहीं समझा जाएगा।
2. अधिनियम की धारा 10के खंड (23चड.) और इस अधिसूचना में यथा उल्लिखित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन निर्धारिती को कर छूट के लिए अपात्र ठहराएगा।
 3. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 86/2022/फा. सं. 500/पीएफ1/एस10(23चड.)/एफटी और टीआर-II]

श्री वत्स सेहरा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2022

(INCOME-TAX)

S.O. 3324(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (c) of the *Explanation 1* to clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby specifies the pension fund, namely, CPPIB Credit Investments VI Inc. (PAN: AAGCC5549K), (hereinafter referred to as the assessee) as the specified person for the purposes of the said clause in respect of the eligible investment made by it in India on or after the date of publication of this notification in the Official Gazette but on or before the 31st day of March, 2024 (hereinafter referred to as the said investments) subject to the fulfillment of the following conditions, namely:-

- (i) the assessee shall file return of income, for all the relevant previous years falling within the period beginning from the date in which the said investment has been made and ending on the date on which such investment is liquidated, on or before the due date specified for furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 of the Act;
 - (ii) the assessee shall furnish along with such return a certificate in Form No. 10BBC in respect of compliance to the provisions of clause (23FE) of section 10 of the Act, during the financial year, from an accountant as defined in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288 of the Act, as per the provisions of clause (vi) of rule 2DB of the Income-tax Rules, 1962;
 - (iii) the assessee shall intimate the details in respect of each investment made by it in India during the quarter within one month from the end of the quarter in Form No. 10BBB, as per the provisions of clause (v) of rule 2DB of the Income-tax Rules, 1962;
 - (iv) the assessee shall maintain a segmented account of income and expenditure in respect of such investment which qualifies for exemption under clause (23FE) of section 10 of the Act;
 - (v) the assessee shall continue to be regulated under the law of the Government of Canada;
 - (vi) the assessee shall be responsible for administering or investing the assets for meeting the statutory obligations and defined contributions of one or more funds or plans established for providing retirement, social security, employment, disability, death benefits or any similar compensation to the participants or beneficiaries of such funds or plans, as the case may be;
 - (vii) the earnings and assets of the assessee should be used only for meeting statutory obligations and defined contributions for participants or beneficiaries of funds or plans referred to in clause (vi) and no portion of the earnings or assets of the pension fund inures any benefit to any other private person; barring any payment made to creditors or depositors for loan or borrowing [as defined in sub-clause (b) of clause (ii) of *Explanation 2* to clause (23FE) of section 10 of the Act] taken for the purposes other than for making investment in India;
 - (viii) the assessee shall not have any loans or borrowings [as defined in sub-clause (b) of clause (ii) of *Explanation 2* to clause (23FE) of section 10 of the Act], directly or indirectly, for the purposes of making investment in India; and
 - (ix) the assessee shall not participate in the day to day operations of investee [as defined in clause (i) of *Explanation 2* to clause (23FE) of section 10 of the Act] but the monitoring mechanism to protect the investment with the investee including the right to appoint directors or executive director shall not be considered as participation in the day to day operations of the investee.
2. Violation of any of the conditions as stipulated in the said clause (23FE) of section 10 of the Act and this notification shall render the assessee ineligible for the tax exemption.
 3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 86/2022/F. No. 500/PF1/S10(23FE)/FT&TR-II]

SRI VATSA SEHRA, Under Secy.